प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 04.02.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी-

1. अवैध चाकू के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघर:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना कटघर द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त मनीष पुत्र राजेन्द्र निवासी गोविन्दनगर ब्लाक C पक्का बाग थाना कटघर मुरादाबाद को 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटघर पर मु0अ0सं0-0056/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2. थाना मूँढापाण्डे पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03-02-2024 की रात्रि में उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना मूँढापाण्डे द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से 01 वारंटी अभियुक्त गोविन्द पुत्र राकेश धीमर निवासी ग्राम मढेडा थाना गोला गोकर्णनाथ जनपद खीरी लखीमपुर मुकदमा नं0 121/08 अपराध संख्या 109/08 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना कारित करने के आरोपी को थाना सिविल लाईन्स पुलिस ने गिरफ्तार कर कब्जे से आलाकत्ल किया बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 03-02-2024 को थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की शिनाख्त गोविन्द पुत्र हरिशंकर निवासी टान्डा अमरपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद के रुप में हुई। उक्त संबंध में मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0-94/2024 धारा-302/504 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार घटना के शीघ्र अनावरण/गिरफ्तारी हेतु दिये निर्देशन के अनुपालनार्थ पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन्स पर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान दिनांक 03-02-2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त **साजिद उर्फ लम्बू पुत्र मुस्तकीम निवासी डबल फाटक हड्डी मिल थाना कटघर जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सीमेंट व रोडी की ईट व मफलर मटमैला बरामद किये गये।

विवरण पूछताछः-

पुलिस द्वारा पूछताछ पर अभियुक्त साजिद उर्फ लम्बू उपरोक्त ने बताया कि मै काफी दिनो से रेलवे स्टेशन तथा उसके आस पास गुटके, बीडी सिगरेट के साथ-साथ चोरी छिपे नशे का सलोचन रेलवे स्टेशन के आस पास घूमते हुए नशेडी लोगो को बेचता था। मैं खुद भी शराब तथा सलोचन आदि का नशा करने का आदी हो गया था। गोविन्द पुत्र हरिशंकर निवासी टान्डा अमरपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद जो कि काफी दिनो से यही स्टेशन पर पानी की बोतले बेचता था तथा मुझसे नशा करने के लिए सलोचन व गुटके आदि लेता था। मेरी उससे अच्छी

जानकारी हो गई थी। इस नाते मैं उसको उधार सामान दे देता था। गोविन्द पर मेरे नशे के सामान के काफी रुपये उधार हो गए थे। मै बहुत दिनो से गोविन्द से अपनी उधारी के पैसे मांग रहा था। परन्तु गोविन्द टालता रहा और इघर-उधऱ से शराब सलोचन खरीदकर नशा करता रहा है और मेरे पैसे देने से साफ इन्कार कर दिया। मैने गोविन्द को सबक सिखाने की ठान ली दिनाँक 01/02/2024 की रात्रि समय करीब 09-10 बजे के आस-पास की बात होगी कि मैं रेलवे के खण्डहर में था तभी गोविन्द भी घूमता हुआ उधर आया और मैंने गोविन्द से अपनी उधारी के पैसे मांगे तो गोविन्द ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। रात का समय था। मैने गोविन्द को अकेला पाकर वही खण्डहर में पड़ी रोड़ी के सीमेन्ट का टुकडा उठाकर गोविन्द के सिर, चेहरे व शरीर पर कई वार किए जिससे गोविन्द की मृत्यु हो गयी। मैं मौके से भाग गया था। जल्दबाजी मे मेरा ऊनी मफलर वही छूट गया था। जो मैने पुलिस के साथ जाकर कल बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

साजिद उर्फ लम्बू पुत्र मुस्तकीम निवासी डबल फाटक हड्डी मिल थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगीः-

1- एक आला कत्ल खूनालूदा सीमेन्ट रोडी की ईंट का टुकडा

2- एक मफलर चैकदार

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0-447/2021धारा 323/324/504 भा0द0वि0 थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

2-मु0अ0स0-94/2024 धारा 302/504 भा0द0वि0 थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

नोटः-अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रसाद शर्मा
2- निरीक्षक श्री बालेन्द्र सिंह
3-आरक्षी कर्ण कादियान
4-आरक्षी राज कुमार

4. थाना साइबर क्राइम मुरादाबाद द्वारा गूगल पर हेल्प लाइन नम्बरों के माध्यम से लाखो की ठगी करने वाले 02 आरोपियो को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से घटना में प्रयुक्त एटीएम कार्ड बरामद।

अवगत कराना है कि जनपद अमरोहा के एक फौजी द्वारा 479 रु0 का मोबाईल रिचार्ज करने पर रिचार्ज न होने पर गूगल से हेल्प लाइन नम्बर सर्च कर प्राप्त नम्बर पर फोन करने पर फोन रिसिव करने वाले व्यक्ति ने Anydesk app डाउनलोड करवाकर एटीएम स्कैन कराया और रुपयो को वापस करने की बात कही, एटीएम कार्ड स्कैन करते ही वादी के खाते से 1050000/- रुपयो की ठगी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में जनपद अमरोहा के थाना मण्डी धनौरा में मु0अ0सं0-12/2022 धारा 420 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में दिनांक 07.01.2022 को पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना थाना साइबर क्राइम मुरादाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

उक्त अपराध के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,जनपद मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी थाना साइबर क्राइम / अपराध जनपद मुरादाबाद के नेतृत्व मे तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए विवेचना मे निरीक्षक / विवेचक साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त अभियोग की विवेचना में अभियुक्तगण शाहबुद्दीन मियाँ, मो0 शनाउल तथा रियाज देवघर, झारखण्ड के नाम प्रकाश में आये मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.- शाहबुद्दीन मियाँ पुत्र भूटाली मियाँ निवासी घोरमारा ग्राम चितरपोका पोस्ट घोरमारा थाना मोहनपुर देवघर झारखण्ड 2.- मौ0 शनाउल शमशेर अंसारी निवासी घोरमारा ग्राम चितरपोका पोस्ट घोरमारा थाना मोहनपुर देवघर झारखण्ड को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त अपराध में प्रयुक्त एक्सिस बैंक के 03 एटीएम कार्ड बरामद किये गये अभियुक्तगण की गिरफ्तारी / बरामदगी व तमामी विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा 4,42,000/- रू0 भारतपे मर्चेंट के माध्यम से वादी को वापस कराये जा चुके हैं। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1.- शाहबुद्दीन मियाँ पुत्र भूटाली मियाँ निवासी घोरमारा ग्राम चितरपोका पोस्ट घोरमारा थाना मोहनपुर देवघर झारखण्ड हाल निवासी- 33/22 फर्नीचर वर्ल्ड घरौंदा करनाल हरियाणा ,उम्र - 53 वर्ष।

2.- मौ0 शनाउल पुत्र शमशेर अंसारी निवासी घोरमारा ग्राम चितरपोका पोस्ट घोरमारा थाना मोहनपुर देवघर झारखण्ड, उम्र 29 वर्ष।

वाछिंत अभियुक्त:-

1.- रियाज पुत्र अब्दुल मिंया निवासी बामनगंज बारा पोस्ट नवादा बामरगंज थाना सारठ देवघर झारखण्ड।

पूछताछ का विवरण :- शाहबुद्दीन एवं शनाउल अंसारी देवघर झारखण्ड के रहने वाले तथा फर्नीचर वर्ल्ड कम्पनी घरौंदा करनाल हरियाणा मे काम करते है। शनाउल के पास के गाँव का ही रियाज ने शनाउल से कुछ एकाउन्ट उपलब्ध कराने को कहाँ, जिसके बदले 15% रुपयो का लाभ स्वंय रख कर बाकी रुपयो को भेज देने की बात कही इस संबंध में शनाउल ने शाहबुद्दीन जो कि मजदूरो का ठेकेदार है से कुछ एकाउन्ट उपलब्ध कराने को कहाँ जिसमें 10% का लाभ स्वंय रखने हेतु कहा गया जिस पर शाहबुद्दीन तैयार हो गया। शाहबुद्दीन ठेकेदार के पास लगभग 40 व्यक्ति मजदूरी पर फर्नीचर वर्ल्ड कम्पनी में काम करते थे शाहबुद्दीन द्वारा सैलरी एकाउन्ट खुलवाने के बहाने कुछ मजदूरो का खाता एक्सिस बैंक में खुलवाकर उसकी किट अपने पास रख ली तथा उन्ही खातो में फ्राड की धनराशि मंगवाकर घरौदा करनाल हरियाणा में एटीएम से रुपयो की स्वंय निकासी कर अपना 15 प्रतिशत कमीशन काट कर बाकी रुपयो को रियाज को वापस भेज देता था। इस प्रकार से शाहबुद्दीन व शानाउल साइबर ठगी में प्राप्त धनराशि का मैनेजमेन्ट करते थे तथा मुख्य रुपयो को रियाज द्वारा ही घुमाकर वापस अपने पास देवघर झारखण्ड में मंगवा लिया जाता है।

उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि अब तक हमने लगभग 25 से 30 खातो में लगभग 50 लाख रुपयो की ठगी की है।

बरामदगी :- अपराध में प्रयुक्त एक्सिस बैंक के 03 एटीएम कार्ड।

गिरफ्तार / बरामदगी करने वाली टीम :-

(1) निरीक्षक श्री रामसंजीवन
(2) मुख्य आरक्षी मनीष तिवारी
(3) मुख्य आरक्षी प्रशान्त
(4) का0 विवेक कुमार।